Indian J. Soc & Pol. 03(01): 2016:59-62 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

भारत में मानवाधिकारों का ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

बृजेन्द्र कुमार सिंह[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, हंडिया पी जी कालेज, हंडिया, इलाहाबाद,उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

सृष्टि की सर्वोत्तम कृति के रूप में मंथन करने कें पश्चात जो निष्कर्ष के रुप में प्राप्त होंता है, वह मानव है और यह निर्विवाद सत्य है कि अपनेद अधिकारों के ज्ञान के अभाव में उसका यथेष्ठ विकास सम्भव नहीं है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में मानवाधिकारों की जागरूकता के परिप्रेक्षय में इसी तथ्य पर प्रकाश डाला गया है।

KEYWORD: *मानवाधिकार,रंगभेद, लिंगभेद, स्वतंत्रता, समानता*

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्त्तये।

स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे।। (नीतिशतकम्,)

मानवाधिकार, व्यक्ति की गरिमा को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उसे सम्मान, सुरक्षा तथा अपनी योग्यता के अनुसार जीवन यापन करने का अधिकार प्रदान करता है। विश्व के किसी भी धर्म का अनुसरण करने, पूजा–यज्ञादि कर्म करनें विभिन्न उत्सवों के आयोजन की स्वतंत्रता आदि मानवाधिकारों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं।(अग्निहोत्री,2010,पृ 65–110)

'अधिकार' वे माँग हैं, जो समाज द्वारा स्वीकृत की जाती है। ये माँगे विभिन्न प्रकारों की, यथा–तटस्थ, सार्वजनिक–कल्याण एवं स्वार्थपूर्ण हो सकती हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक–विचारक **'बोसांके'** का कहना है कि ''अधिकार वह माँग है जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है।''प्रत्येक व्यक्ति को अपने आन्तरिक–विकास के लिए बाह्य–परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह बाह्य परिस्थितियाँ व्यक्ति के आन्तरिक विकास के लिए अधिकार के रूप में देखी जा सकती हैं। इन अधिकारों का प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी ऊँच–नीच, छुआछूत एवं भेदभाव के प्राप्त होना ही मानवाधिकार है। मानव–जीवन, मानव–गरिमा तथा मानवीय–मूल्यों की सुरक्षा एवं संरक्षण मानवाधिकार का मूल उद्देश्य है।

वर्तमान परिदृश्य में मानव–जाति विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों यथा–रंगभेद, जातिभेद, नस्लभेद, आतंकवाद आदि को सहन कर रही है, जो विभिन्न देशों मे आन्तरिक संरचना–जनित बुराइयों से उत्पन्ना होते हैं। तिरस्कार, उत्पीड़न एवं असुरक्षा ने मानव के जीवन–यापन की समस्या को और भी दुरूह बना दिया है। अतः ऐसी स्थिति में जब विश्व विभिन्न अत्याचारों एवं उत्पीड़नों से झुलस रहा है, मानवाधिकारों का संवैधानिक–संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है।

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समान मानता है। क्योंकि वैयक्तिक सम्मान एवं स्वतंत्रता के अभाव में मानव–जीवन एक कोरी–कल्पना मात्र है। मानवाधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को विश्व में कहीं भी बसने, व्यापार करने, पूर्ण सहमति से विवाह करने तथा अपनी सम्पत्ति का इच्छानुसार उपभोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है।

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, संभावित अत्याचार से मुक्ति, चिकित्सा एवं मूलभूत–आवश्यकताओं की पूर्ति आदि की दिशा में मानवाधिकारों का महत्वपूर्ण योगदान है।मानवाधिकार, सामान्य व्यक्ति से लेकर जेल में बन्द कैदियों, अपराधियों तथा राज्य–निष्कासन के विरूद्ध, पुलिस के विरूद्ध व्यक्तियों को न्यायिक संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपने विचारों कें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के साथ–साथ विधि के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करने तथा प्रेस द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार भी प्रदान करता है।

हेराल्ड जे0 लास्की के अनुसार, ''अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।''(प्रतियोगिता दर्पण, अतिरिक्तांक)

भारत में पारित मानवाधिकार अधिनियम (1993) में मानवाधिकारों को इस प्रकार प्ररिभाषित किया गया है– "Human rights means the relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodies in the international covenants inforcable by courts in India." "Human Rights are commonly understood as inalienable fundamental rights to which a person is inherently entitled simply because she or he is a human being". (*Wikipedia, the free encyclopedia)*

धर्म एवं मानवाधिकार–हनन :–

1: Corresponding Author

मानव अपनी उत्पत्ति के समय से ही शक्ति एवं वर्चस्व के आधार पर दो भागों में बँट गया जिसका नामकरण हम शोषक तथा शोषित के रूप में कर सकते हैं। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानवोत्पत्ति के साथ ही मानवाधिकार–हनन भी अपने अस्तित्व में आ गया था। कालान्तर में विभिन्न प्रकार से बँटे लोगों को विभिन्न धर्मों से जोड़ा जाने लगा परन्तु आज भी धर्म की आड़ में धर्मधुरंधर अपने निजी स्वार्थों कें लिए समाज में शोषित–वर्ग को समाप्त न करके उसे पोषित ही कर रहे हैं।

मनुष्य को अपना अस्तितव बनाए रखने के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए और वह कुछ विशेष अधिकारों कें बिना अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना सम्भव नहीं है। मानव अधिकार किसी राज्य अथवा देश की आन्तरिक या घरेलू अधिकारिकता के अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह बात 1948 में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक अधिकारों की उद्घोषणा के अंगीकार किए जाने पर यह भी स्वीकार किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 2(7) के उपबंध भी किसी देश के घरेलू या आन्तरिक अधिकारिता कें अन्तर्गत नहीं आएंगे बल्कि इसका विषय अन्तर्राराष्ट्रीय विधि के स्तर का होगा।

- स्थूल रूप से मानव अधिकार वह मौलिक व अन्य संक्राम्य अधिकार हैं, जो मनुष्यों के जीवन के लिए आवश्यक है।
- मनुष्य होने के नाते प्रत्येक मानव जिन सुविधाओं को पाने का स्वतः ही अधिकारी है, वे सुविधाएं ही मानवाधिकार हैं।
- मानव अधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक मानव के हैं केवल इसलिए कि वह मानव है चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता, प्रजाति या नस्ल, धर्म, लिंग का हो।
- मानव अधिकार वह अधिकार है जो हमारी प्रकृति में अन्तर्निहित जिसके बिना हम सभ्य व गरिमापूर्ण मानवों की भांति जीवन व्यतीत नहीं कर सकते।

मानव अधिकारों को कहीं–कहीं मौलिक या मूल या नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं क्योंकि ये वे अधिकार होते हैं जो किसी सरकार द्वारा छीने नहीं जा सकते। चूँकि मानव अधिकार किसी विधायिनी द्वारा निर्मित नहीं किये गये, वह बहुत कुछ नैसर्गिक अधिकारों से मिलते है या उसके समान है।

भारत में मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में उद्घृत मानवाधिकार से लिया गया है। भारत के संविधान में हमें जो मानवाधिकार की झलक देखने को मिलती है, उसमें बहुत कुछ भूमिका यू0एन0ओ0 के मानवाधिकार की रूपरेखा दृष्टिगत होती हैं।परन्तु वे पूर्णरूप से वैसे के वैसे न होकर भारतीय संस्कृति और प्रकृति के अनुरूप भारतीय नागरिकों को न केवल प्रदान किए गए बल्कि विदेशियों तक को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जैसे–

मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा	भारतीय संविधान
1- व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 3)	अनुच्छेद 21
2- दासता, दास व्यापार आदि की निषिद्धि (अनुच्छेद 3)	अनुच्छेद 23
3- विधि के समक्ष समानता एवं गैर भेद–भाव (अनुच्छेद 7)	अनुच्छेद 14 एवं 15(1)
4- मनमानी गिरफ्तारी, निरूद्ध आदि के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 9)	अनुच्छेद 22
5- विचार, अन्तःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 13(1))	अनुच्छेद 25(1)
6- समाजिक सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद (22)	अनुच्छेद 29(1)

प्राचीन भारत में समाज के आदर्श प्रतिमानों को स्थापित किया जाता था। उस काल में अनेक धर्मों के सामाजिक एवं नैतिक आदर्श मानव अधिकारों के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते थे।

ऋग्वेद और उसके बाद अथर्ववेद तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चन्दुग्रप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अपराधी युद्ध बन्दी स्त्रियों एवं बालकों के अधिकारों का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है।

प्राचीन काल में विभिन्न ग्रन्थों में एक ही अपराध के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए अलग–अलग दण्ड की व्यवस्था की गयी जो भेदभाव का सूचक है। वैसे तो भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम (सारी धरती एक परिवार है) को मानती रही है, जिसका निहितार्थ है कि राष्ट्र की सीमा से परे लागों को समानता एवं मानवता की हिमायती हमारी संस्कृति है। मगर वैदिक काल के बाद भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ आईं तथा शासन व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों को सीमित करने लगी।

पश्चिमी देशों में सबसे पहले ब्रिटेन ने सन् 1215 ई0 में सामन्तों और ब्रिटेन के सम्राट के बीच समझौता हुआ था जो मैग्नाकार्टा यानी ग्रेट चार्टर के नाम से जाना जाता है। 1627 के विधेयक में भी मानवाधिकार शामिल किये गये। मानवाधिकारों के सम्बन्ध में 18वीं शताब्दी में चार प्रमुख घटनाएँ घटी–

1. द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की स्वतन्त्रता की घोषणा (1776)।

2. फ्रांसीसी क्रान्ति (1789) तथा मुनष्य एवं नागरिकों कें अधिकारों की घोषणा (1789)।

3. अमेरिकी विधिशास्त्र एवं अधिकार विधेयक (1791)।

4. नेपोलियन की यूरोपीय देशों पर विजय।

1976 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस जिसमें उत्तर अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे ने ब्रिटेन से अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की तथा यह माना कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं।द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसके सदस्य राष्ट्रों ने 10 दिसम्बर 1948 को आम सहमति से 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। जिसमें प्रस्तावना के साथा 30 अनुच्छेद हैं।

इसका मुख्य उद्देश्य –

मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा एवं सम्मान तथा अहरणीय अधिकारों को मान्यता विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय एवं शान्ति की आधारशिला है।मानवाधिकारों की उपेक्षा एवं अवमानना के फलस्वरूप ऐसे बर्बरतापूर्ण कृत्य हुए हैं जिसमें मानवता की अन्तरात्मा को घोर आघात पहुँचा। सभी प्रकार विकास का अधिकार नया मानवाधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 4 दिसम्बर 1984 को इस घोषणा को अंगीकार किया। इसका उद्देश्य है–

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय प्रकृति की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में नस्ल, लिंग, भाषा एवं धर्म के विरूद्ध विभेद के बिना सबके लिए मानवाधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने और प्रोत्साहन देने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्त के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकार पत्र में प्रयोजनों और सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की व्यवस्थाओं के अधीन प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है जिससे उक्त घोषणा में उल्लिखित अधिकार पूर्ण रूप से चरितार्थ हो सके। 1951 से जब तक यू0एन0ओ0 ने विश्व के मानव समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीति एवं प्रशासनिक अधिकारों के लिए एक सकल प्रणेता की भूमिका निभायी है। वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व में रंगभेद, उत्पीड़ने, अत्याचार, व्यवहार, शोषण, दमन एवं नरसंहार आदि के प्रति जितनी भी जागरूकता आयी है उसका श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ को जाता है।*(शोधधारा)*

सर्वधर्म समभाव को आत्मसात करने वाले हमारे देश भारत में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने भारतीयों कें अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के भाग–3 तथा अनुच्छेद 12 से 335 के बीच विभिन्न अधिकारों का समावेश किया गया है। अनुच्छेद–14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है जबकि अनुच्छेद–15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ विभेद न करने की बात करता है।

प्रत्येक कानून को सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा बनाये जाने वाले कानून दो प्रकार के होते हैं, एक वह जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किए जाते हैं और दूसरे वह जो समस्त व्यक्तियों पर लागू न होकर किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष, स्थान विशेषज्ञ आदि पर लागू किए जाते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों, व्यावसायिक समूहों एवं संस्थाओं उदाहरणार्थ – वकील, डाक्टर, बीमा कम्पनी आदि श्रेणियों के लोगों के लिए अलग–अलग कानूनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के वर्ग विधायन से अनुच्छेद–14 का अतिक्रमण नहीं होता। जब तक किसी वर्ग विशेष में आने वाले व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव न किया जाए। उदाहरण के लिए यदि सरकार यह कानून बनाए कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत् अध्यापक कोचिंग, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते तो यह एक विधायनी वर्गीकरण कहलायेगा जिसका आधार सरकारी और गैरसरकारी अध्यापकों के बीच पायी जाने वाली विभिन्नता है।(सईद,2002)

- संविधान का अनुच्छेद–5 सामाजिक समानता स्थापित करता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध उसके जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नही करेगा और न ही सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग आदि से इन आधारों पर रोका जा सकेगा।
- संविधान का अनुच्छेद–16 राज्य कें अधीन किसी पद पर नियुक्ति का समान अवसर सभी नागरिकों को देने की घोषणा करता है।
- संविधान का अनुच्छेद–17 भारतीय समाज में व्याप्त कुरीति, अस्पृश्यता को अवैधानिक घोषित करता है और छुआछूत करने वाला विधि कें अनुसार दंडित होगा।
- संविधान का अनुच्छेद–18 राज्य, सेना या शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों को छोड़कर और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
- संविधान का अनुच्छेद–19(ए) विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतन्त्रता को जो अधिकार दिया गया है उसमें कुछ अन्य स्वतन्त्रताएं भी निहित हैं।
- संविधान का अनुच्छेद–20 किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के विधि सम्मत अधिकार प्रदान किया गया है।
- संविधान का अनुच्छेद–21 एक महत्वपूर्ण अधिकार की घोषणा करता है, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता से कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया कें अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार सं वंचित नहीं किया जा सकता।

- संविधान का अनुच्छेद–23 शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान करता है। बलातश्रम को अवैधानिक घोषित करता है।
- संविधान के अनुच्छेद–24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान आदि में काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।
- संविधान का अनुच्छेद–25 से 28 तक धर्म सम्बन्धी अधिकारों की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें राज्य का आना कोई धर्म नहीं है।
- संविधान कें अनुच्छेद–29 के अनुसार भारत कें राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा,लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
- संविधान के अनुच्छेद–30 में अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है।

इस प्रकार मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन करता है–

- स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किये जाने की या ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवाक द्वारा उपेक्षा की शिकायत की जाँच करना।
- किसी न्यायालय में विचाराधीन किसी कार्यवाही में जिसमें मानवाधिकारों के अतिक्रमण का मामला हो।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना।
- समाज में मानव अधिकारों से सम्बन्धित जानकारियों का प्रचार–प्रसार करना एवं संचार, विचार माध्यम, प्रकाशनों एवं गोष्ठियों तथा अन्य उपलब्ध विभिन्न साधनों के माध्यम से अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 17 जनवरी 2003 को एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जीने के अधिकार में काम का अधिकार शामिल है।

Right of life enshrined in Article 21 (Of Indian constitution) means something more than animal instinct and includes the right to live with human dignity it world include all these aspects which would make life meaningful, complete and living.

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को 2 फरवरी 2006 से भारत के 200 जिलों में शुरु की गई। वष्र 2007–08 में 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अन्ततः भारत के सभी 593 जिलों में लागू कर दिया गया। इसके अन्तर्गत प्रत्येक कामगार को सौ दिन का रोजगार (सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में 150 दिन) की गारंटी प्रदान की जाती है।

मानवाधिकारों में जागरूकता पैदा करने में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छी प्रकार से निभाने के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में इसे प्राथमिक स्तर से स्थान दिया जाय। ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहाँ लोगों में स्वतः की मानवाधिकारों कें प्रति जागरूकता पैदा हो सके तथा मानवीय गरिमा सुनिश्चित हो सके।

इन अध्ययनों के पश्चात् हमें यह सोचना होगा कि **''जियो और जीने दो''** तथा सह–अस्तित्ववाद के मूल्यों को अपनाकर ही हम अपने अधिकारों की रक्षा तथा सुरक्षा कर सकते हैं।

सन्दर्भ

अग्निहोत्री, रवीन्द्र (2010): आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएँ और समाधान जयपुर,हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,

जैन, एस0एन0,: *भारतीय संविधान शासन और राजनीति,* राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

सिंह, धर्मेन्द्रः *भारत में मानव अधिकार,* रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, राजनीति विज्ञान, उपकार प्रकाशन, आगरा

शोध धारा, शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, उरई जालौन

सईद, एस0एम0 : *भारतीय राजनीतिक व्यवस्था,* सुलभप्रकाशन, लखनऊ

यू0एन0ओ0 चार्टर

त्रिपाठी, टी0पी0: *मानव अधिकार,* इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, पब्लिकेशन्स।

फाड़िया, कुलदीप : *मानव अधिकार,* साहित्य भवन, आगरा

कपूर, श्याम किशोरः *अन्तर्राष्ट्रीय विधि*